

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर २४-२५
दक्षिण मार्ग, सेक्टर ३१ ए
चण्डीगढ़-१६००३०

F.No. -: 9-PBB292/2013-CHA

दिनांक: मंगलवार, 21 अप्रैल 2015

सेवा में,

नोडल ऑफिसर,
एफ० सी० ऐ० & सी० सी० एफ० (एफ सी)
पंजाब सरकार, वन कॉम्प्लैक्स, सेक्टर 68,
एस० ए० एस० नगर (मोहाली), पंजाब

विषय:- Diversion of 0.768 hectares (instead of 1.29 ha) of forest land in favour of Greater Ludhiana Area Development Authority for laying Sewerage Line in NH-1 at Doraha City District Ludhiana Kms 293.200 to 294.100 L/s and 293.200 to 293.680 R/s and 295.290 to 295.790 R/s under Forest Division and District Ludhiana, Punjab

सन्दर्भ: नोडल ऑफिसर एवं मुख्य वन संरक्षक (वन) के पत्र संख्या FCA/1980/41/2013/3440 दिनांक 10.04.2015.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.768 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. Duly filled in proforma was sent to the "Officer On Special Duty" Ad-hoc CAMPA and he has reported that the transaction detail viz RTGS/(UTR)/NEFT/DD/Cheque /Transaction no. and complete proforma be submitted again (copy enclosed).

3. Further details of the remittance of CA levies be obtained and conveyed through proforma to this office so that the same be furnished to OSD-CAMPA for further necessary action.

4. उपरोक्त जानकारी, इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें | जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है |

भवदीय


(ईश्वर सिंह)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला लुधियाना, पंजाब |
भूपिंदर कुमार चावला, डिप्टी जूनियर अभियन्ता, (II-फेस)जी, .ए.डी.ए. .एल. लुधियाना, पंजाब |